संख्या-83/2021/आ0-08/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2021

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय -वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के अन्तर्गत नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1112/(02)/श0प्र0मु0रू0मि0यो0/समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 16.02.2021 एवं पत्र संख्या-1184/(02)/श0प्र0मु0रू0मि0यो0/समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 18.02.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद एवं चित्रकूट के 20 नये मार्गों, जिनकी कुल लम्बाई 22.90 कि0मी0 के नवनिर्माण हेतु निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-6 के अनुसार कुल लागत रू0 17,22,15,000/- (रूपये सत्रह करोड़ बाइस लाख पन्द्रह हजार मात्र), जिसमें लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि एवं अधिष्ठान व्यय व नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष स्तम्भ-7 के अनुसार रू0 3,44,43,000/- (रूपये तीन करोड़ चौवालिस लाख तैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	**जनपद का नाम**	**क्लस्टर्स का नाम**	**मार्ग का नाम**	**लम्बाई (कि0 मी0 में)**	**अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि व अधिष्ठान व्यय व जी0एस0टी0 सहित)**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	फिरोजा बाद	रूधऊ मुस्तकिल	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत चुल्हावली राधा स्वामी आश्रम से गढ़ी मिश्री मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.20	146.50	29.30
2	फिरोजा बाद	रूधऊ मुस्तकिल	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत टूण्डला से हदय नगर होते हुये रूधऊ तक ग्रामीण मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.30	198.90	39.78

क्रमशः..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्लस्टर्स का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि व अधिष्ठान व्यय व जी0एस0टी0 सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
3	फिरोजा बाद	रूधऊ मुस्तकिल	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत टूण्डला खाम में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.40	52.24	10.45
4	फिरोजा बाद	रूधऊ मुस्तकिल	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत विजयगढ़ी से रूधऊ की ठार बासुदेव ग्रामीण मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.75	64.16	12.83
5	फिरोजा बाद	रूधऊ मुस्तकिल	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत रा0मा0-2 से मोहम्मदाबाद के आबादी भाग में आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	0.900 RCC Drain	52.83	10.57
6	फिरोजा बाद	रूधऊ मुस्तकिल	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत अनवारा में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.15	19.76	3.95
7	चित्रकूट	कसहाई	सिद्धपुर का पुरवा बच्ची चमार का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.30	95.05	19.01
8	चित्रकूट	कसहाई	बनकट बरवारा मार्ग के किमी0-2 से दाहिनी बनकट का मजरा नई बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.650	47.71	9.54
9	चित्रकूट	कसहाई	छिपना बाहर खेड़ा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.80	132.57	26.51
10	चित्रकूट	कसहाई	इटरौर भीखमपुर का मजरा नवल सिंह का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.55	40.88	8.18
11	चित्रकूट	कसहाई	इटरौर भीखमपुर का मजरा राजाराम का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.75	55.39	11.08

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्लस्टर्स का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि व अधिष्ठान व्यय व जी0एस0टी0 सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
12	चित्रकूट	कसहाई	कर्वी माफी से विनायकपुर सम्पर्क मार्ग मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.75	54.48	10.90
13	चित्रकूट	कसहाई	कोलगदहिया सम्पर्क मार्ग से बिल्हुउन पुरवा व मुस्लिम पुरवा होते हुए कछार पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.00	144.65	28.93
14	चित्रकूट	कसहाई	लौढिया खुर्द सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 से नोलाड़ी का पुरवा होते हुए चमरौड़ी को जोड़ते हुए सपहा तक नवनिर्माण कार्य	1.80	131.18	26.24
15	चित्रकूट	कसहाई	बनाड़ी का मजरा मैकू का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.15	10.97	2.19
16	चित्रकूट	कसहाई	मरजादपुर से खोह सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.80	130.46	26.09
17	चित्रकूट	कसहाई	इटरौर भीखमपुर का मजरा रामबरन का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.50	38.15	7.63
18	चित्रकूट	कसहाई	इटरौर भीखमपुर का मजरा शिव सम्पत का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.45	108.55	21.71
19	चित्रकूट	कसहाई	सिद्धपुर विनायकनपुर सम्पर्क मार्ग से कोलगदहिया का पुरवा सलइया पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.50	109.38	21.88
20	चित्रकूट	कसहाई	सोनेपुर से सिद्धपुर विनायकपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.20	88.34	17.66
			कुल योग-	**22.90**	**1722.15**	**344.43**

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त वर्णित कार्यो की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी -

(1) प्रश्नगत कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जांय ।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/ डिपाजिट खातें में नही रखी जायेगी ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/ मद में किया जायेगा।

(6) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(9) अधिष्ठान व्यय की धनरशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार लागत का 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय की धनराशि अनुमन्य होगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-901/दस-2011-231-2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-00-800-05-00-00 ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट की जायेगी ।

(10) लेबर सेस की एक प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(12) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(13) प्रश्नगत कार्यो को निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्तायुक्त् पूर्ण करायें तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्धकराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह के आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य-13-50 ''श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन'' के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण के कार्यों हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-758/दस-2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

3- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनउ ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in